



# नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४३) काठमाडौं, असोज १४ गते २०५० साल (अतिरिक्ताङ्क ३५)

## भाग २

श्री ५ को सरकार

### कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौ वर्षमा संसदले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०५० सालको ऐन नं. १७

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरूदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम प्रज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐ रामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित  
कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको  
ऐन

प्रस्तावना : आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को सेवा र कार्यहरुको लागि

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

४३३



सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न बाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम : यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०५०" रहेकोछ ।

२. आर्थिक वर्ष २०५०।५१ को निमित्त सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार: आर्थिक वर्ष २०५०।५१को निमित्त अनुसूची १ बमोजिम सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची २ को महल ३ मा र अनुसूची ३ को महल ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची २ को महल ४ मा र अनुसूची ३ को महल ४ मा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जम्मा रुपैयाँ ३०,५०,९३,४१,०००।- (तीस अरब पचास करोड त्रियानब्बे लाख एकचालीस हजार) मा नबढाई सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. विनियोजन : यो ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०५०।५१ को निमित्त अनुसूची २ को महल ३ मा र अनुसूची ३ को महल ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

तर उक्त सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिएको रकम कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० (दश) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न सक्नेछ ।

(२)  
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



अनुसूची - १  
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार सञ्चित कोषमाथि  
व्ययभार हुने

| १           | २             | ३                                                                                                                                                                                                     | ४                                                                                               |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                                                                                                                                                                                          | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम (रु. हजारमा)                                                    |
| १           | १-१           | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार राजपरिषद संसद सर्वोच्च अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परीक्षकको विभाग लोक सेवा आयोग निर्वाचन आयोग सांवा भुक्तानी व्याज भुक्तानी दण्ड जरीवाना फिर्ता | ५८१५७<br>४३४०<br>२२१०<br>१४८७७<br>४३८४<br>२४७३४<br>१८०५७<br>१८४७०<br>१८४४२४६<br>२०१२६२२<br>१५०० |
| ११          | १२-६-५        | जम्मा                                                                                                                                                                                                 | ५००४६३७                                                                                         |

(३)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



## अनुसूची- २

ढफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट रबर्ज हुने

| १           | २             | ३                           | ४                          |
|-------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                | विनियोजित रकम (रु. हजारमा) |
| १           | १-३           | संसद                        | ६६३०५                      |
| २           | १-५           | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ४६१७                       |
| ३           | १-१०          | न्याय परिषद.                | १३००                       |
| ४           | २-१           | मन्त्रिपरिषद.               | ११२८०                      |
| ५           | २-२           | श्री ५ को सरकारको सचिवालय   | २१००६८                     |
| ६           | २-३           | जिल्ला प्रशासन              | ५१३५३                      |
| ७           | २-४           | प्रहरी                      | १५०४४५६                    |
| ८           | २-५           | कारागार                     | ७८५२०                      |
| ९           | २-६           | विविध                       | ५३२०२                      |
| १०          | ३-१           | मालपोत                      | ५८३७७                      |
| ११          | ३-२           | भन्सार                      | ६००८५                      |
| १२          | ३-३           | अन्तःशुल्क                  | १८५३१                      |
| १३          | ३-४           | कर                          | ३३८६२                      |
| १४          | ३-५           | राजश्व न्यायाधिकरण          | १०४३                       |
| १५          | ४-१           | योजना                       | ४००८                       |

(४)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



|    |     |                            |         |
|----|-----|----------------------------|---------|
| १६ | ४-२ | तथ्याङ्क                   | १५८४७   |
| १७ | ४-३ | महालेखा नियन्त्रक कार्यालय | ६६१४२   |
| १८ | ५-१ | अदालत                      | १६१३००  |
| १९ | ६-१ | वैदेशिक सेवा               | २७८६३५  |
| २० | ६-२ | विविध (परराष्ट्र तर्फ)     | ७१४८३   |
| २१ | ७-१ | रक्षा                      | १८७१८७० |
| २२ | ७-२ | विविध (रक्षा तर्फ)         | ७७८३    |
| २३ | ८-१ | शिक्षा                     | ७४६७१२  |
| २४ | ८-२ | स्वास्थ्य                  | ५२५८५१  |
| २५ | ८-३ | पिउने पानी                 | ४४५७    |
| २६ | ८-४ | स्थानीय विकास              | ११५६२   |
| २७ | ८-५ | अन्य सामाजिक सेवा          | ११३८५६  |
| २८ | ९-१ | कृषि                       | ४३३१५   |
| २९ | ९-२ | सिंचाई                     | १०२८२   |
| ३० | ९-३ | भूमिसुधार                  | ३६२५८   |
| ३१ | ९-४ | नापी                       | २८२४७   |
| ३२ | ९-५ | वन                         | २७४८३   |
| ३३ | ९-६ | उद्योग तथा रानी            | २५३८२   |
| ३४ | ९-७ | सञ्चार                     | ३४७४०८  |
| ३५ | ९-८ | यातायात                    | १७५५१३  |

(५)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



| संख्या | विवरण                                               | जम्मा | कुल     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------|
| ३६     | अन्य आर्थिक सेवाहरू                                 |       | १४३२५   |
| ३७     | ऋण र लगानी                                          |       | २९५००   |
| ३८     | विशिष्ट व्यक्तित्व तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण रत्न |       | २००००   |
| ३९     | निवृत्तभरण, भत्ता तथा उपदान                         |       | ४६३५००  |
| ४०     | अतिथि सत्कार                                        |       | २०००    |
| ४१     | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार                    |       | १०२००   |
| ४२     | मुआब्जा                                             |       | २००००   |
| ४३     | अन्य                                                |       | ३७६५००  |
| ४४     | भइपरी                                               |       | १०००००  |
|        | जम्मा                                               |       | ७८८३४९२ |

(६)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



अनुसूची- ३  
ढफा २ अनुसार सञ्चित कोणबाट रक्च हुने

| १           | २             | ३                 | ४                          |
|-------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य      | विनियोजित रकम (रु. हजारमा) |
| १           | २-७           | प्रशासन सुधार     | ३७८८८                      |
| २           | ४-१           | योजना             | १२८०५                      |
| ३           | ४-२           | तथ्याङ्क          | १४१८२                      |
| ४           | ८-१           | शिक्षा            | ३७८६८३७                    |
| ५           | ८-२           | स्वास्थ्य         | ८३१४६१                     |
| ६           | ८-३           | पिउने पानी        | १३८१८८३                    |
| ७           | ८-४           | स्थानीय विकास     | १००३६८२                    |
| ८           | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवा | ७००४३३                     |
| ९           | ८-१           | कृषि              | २७६३७८३                    |
| १०          | ८-२           | सिंचाई            | २४०२८४४                    |
| ११          | ८-३           | भूमिसुधार         | २०७५                       |
| १२          | ८-४           | नापी              | १६८३३४                     |
| १३          | ८-५           | वन                | ८७८३२५                     |
| १४          | ८-६           | उद्योग तथा खानी   | ५८७८७४                     |
| १५          | ८-७           | संचार             | ८१०६२५                     |

(७)

आधिकारिकता मुद्रण विभागाबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



| १६      | १७      | १८                  | १९     | जम्मा    |
|---------|---------|---------------------|--------|----------|
| ५-८     | ५-९     | ५-१०                | १२-७   |          |
| यातायात | विद्युत | अन्य आर्थिक सेवाहरू | भइपरी  |          |
| ३२८२५६३ | ३०६८४८३ | ५३५२८१              | १२०००० | २२६२५८२८ |

लालमोहर सदर मिति:- २०५०।६।१४।५

आज्ञाले,  
वेदव्यास क्षेत्री  
श्री ५ को सरकारको सचिव

(८)

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।